व्यवस्था इस्राएल के राष्ट्रीय कानून के रूप में

''देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जब कि हम उस को पुकारते हैं? फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हों, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे साम्हने रखता हूं?'' (व्यवस्थाविवरण 4:7, 8)।

हमने देखा कि परमेश्वर ने इस्राएल के साथ उनका परमेश्वर होने और उन्हें विशेष लोगों के रूप में अलग करने के लिए एक वाचा बांधी और उन्हें यह समझाने के लिए कि वे उसके लोग कैसे बनें, उन्हें व्यवस्था दी। सब प्रकार की शर्तों के साथ जो परमेश्वर ने इस्राएल को दी थीं, उनके राष्ट्रीय कानून के रूप में यह व्यवस्था भी दी गई। इस्राएल ने इस व्यवस्था के अंतर्गत एक धर्मतन्त्र अर्थात परमेश्वर द्वारा संचालित राष्ट्र होना था। इस व्यवस्था में परिवार के सम्बन्धों को संचालित करने, खाने-पीने, सरकारी मामलों और सामाजिक ज़िम्मेदारियों से जुड़े नियम थे। इसमें धार्मिक तथा नैतिक दायित्वों के साथ-साथ व्यक्तिगत दायित्वों को भी विस्तारपूर्वक बताया गया था।

परमेश्वर द्वारा इस्राएल को दिए गए नियम किसी विशेष क्रम में नहीं लिखे गए थे। आचरण के एक जैसे क्षेत्रों को संचालित करने के लिए बहुत से नियम आपस में मिलते-जुलते थे, परन्तु कुछ नियमों को एक ही जगह इकट्ठा किया गया था। ऐसे नियम व्यक्तिगत सम्बन्धों, निजी ज़िम्मेदारियों, कानूनी मामलों, धार्मिक दायित्वों तथा विचार की अन्य बातों पर लागू होते थे।

एक लोगों के लिए एक व्यवस्था

एक निश्चित जाति

सीनै पर्वत पर इस्राएल को दी जाने वाली परमेश्वर की व्यवस्था पहले नहीं दी गई थी। इब्राहीम, इसहाक और याकूब के कनान देश में रहते समय, उन्हें एक जाति के रूप में व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि मिसर में उनके वंशजों के लिए भी व्यवस्था

की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि वे गुलाम थे जिनके लिए मिसर के नियमों को मानना आवश्यक था। मिसर से निकलकर एक अलग जाति बनने से पहले उन्हें राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं थी। परमेश्वर ने व्यवस्था देकर उसकी इस स्थिति में सुधार किया था।

यह कहकर कि ''कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हों, जैसी कि यह सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे साम्हने रखता हूं?'' (व्यवस्थाविवरण 4:8) मूसा ने समझाया कि किसी अन्य जाति को ऐसी व्यवस्था नहीं दी गई थी। दाऊद ने लिखा था:

> वह याकूब को अपना वचन,
> और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है।
> किसी और जाति से उस ने ऐसा बर्ताव नहीं किया;
> और उसके नियमों को औरों ने नहीं जाना।
> याह की स्तुति करो (भजन संहिता 147:19, 20)।

पौलुस ने भी यह सच्चाई बताई: ''फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उन के पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं'' (रोमियों 2:14)। 1 कुरिन्थियों 9:21 में भी पौलुस ने संकेत दिया कि ऐसे भी लोग थे जिनके पास व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था के अनुसार न्याय केवल उनका ही होगा जिन्होंने व्यवस्था के अधीन पाप किया (रोमियों 2:12)।

व्यवस्था, जो कि दस आज्ञाओं का विस्तार है (निर्गमन 34:27, 28; 1 राजा 8:9, 21) केवल इस्राएल को ही दी गई थी। इस्राएल के लोग अर्थात वह जाति जिसे उसने मिसर की दासता से छुड़ाया था, परमेश्वर के चुने हुए लोग थे।

एक निश्चित देश

परमेश्वर द्वारा दी गई वाचा को इस्राएल के देश में मानना आवश्यक था, क्योंकि कुछ विधियों को वे अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर नहीं कर सकते थे। मूसा ने कहा था, ''सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं, कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो'' (व्यवस्थाविवरण 4:5; 6:1, 2 भी देखिए)।

एक निश्चित नगर

परमेश्वर ने इस्राएलियों को आज्ञा दी कि वे उसे उसी जगह ढूंढ़ें जो उसने चुनी थी (व्यवस्थाविवरण 12:5-7)। यह स्थान ''यरूशलेम [नगर था] जिसको यहोवा ने सारे इस्राएली गोत्रों में से अपना नाम रखने के लिए चुन लिया था'' (1 राजा 14:21ख; 1 राजा 11:13; 2 राजा 21:4, 7 भी देखिए)। इस्राएल देश की बाहरी सीमाओं में रहने वालों को

यरूशलेम जाने के लिए बड़ा कठिन प्रयास करना पड़ता होगा, परन्तु यदि पृथ्वी के सब लोगों को इसे मानने के लिए कहा गया होता तो उनके लिए इस आज्ञा को मानना लगभग असम्भव होना था।

परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करते समय निर्देश दिया:

> और तुम निडर रहने पाओ, तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास [यरूशलेम] ठहराने के लिए चुन ले उसी में तुम अपनी होमबलि, और मेलबलि, और दशमांश, और उठाई हुई भेंटें, और मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, निदान जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुम से सुनता हूं उन सभों को वहीं ले जाया करना (व्यवस्थाविवरण 12:11; 26:2 भी देखिए)।

लोगों को अपने अनाज का दशमांश या अपने झुण्डों के पहलौठे यहीं पर अर्थात यरूशलेम में ही खाने होते थे। उनका घर इतनी दूर होने पर जहां से इन्हें परमेश्वर के चुने हुए स्थान पर लाना कठिन होता था, उन्हें इनको पैसों में बदलकर, परमेश्वर के चुने हुए स्थान में खरीदकर खाना आवश्यक था (व्यवस्थाविवरण 12:17-22, 26-28; 14:23-26)।

परमेश्वर के चुने हुए नगर में ही सब बलिदान चढ़ाए जाने आवश्यक थे (व्यवस्थाविवरण 12:13, 14, 26)। तीन वार्षिक पर्व (फसह, अठवारों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व (व्यवस्थाविवरण 16:2-15) वहां मनाने होते थे। इन पर्वों के दौरान सभी नरों का वहां उपस्थित रहना आवश्यक था (व्यवस्थाविवरण 16:16)।

याजकों द्वारा न्यायालय के सभी मामलों की सुनवाई इसी नगर में होती थी (व्यवस्थाविवरण 17:8-13)। यहीं पर झोपड़ियों के पर्व के दौरान हर सातवें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना आवश्यक था (व्यवस्थाविवरण 31:10, 11)।

परमेश्वर की ओर से एक व्यवस्था

मूसा ने लिखा है कि परमेश्वर ने उसे इस्राएल को विधियां तथा नियम देने की आज्ञा दी थी। ये मूसा की खोज से बनाए गए नियम तथा विधियां नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञाएं थीं। लैव्यव्यवस्था में आज्ञाएं देने के बाद, मूसा ने लिखा, ''जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थीं वे ये ही हैं'' (लैव्यव्यवस्था 27:34)।

आज्ञाएं, विधियां तथा व्यवस्था के निणर्य देते हुए, मूसा ने इस्राएल को बार-बार याद करवाया कि ये परमेश्वर की ओर से हैं, जिसका अर्थ था कि वे मूसा की ओर से नहीं थीं। इन कथनों का एक नमूना प्रस्तुत है: ''फिर जब तुम इन सब आज्ञाओं में से जिन्हें यहोवा ने मूसा को दिया है किसी का उल्लंघन भूल से करो ...'' (गिनती 15:22-24)। ''इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना, और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं, उनका पालन करना'' (व्यवस्थाविवरण 27:10)।[1] ''यहोवा ने मूसा से कहा''

(लैव्यव्यवस्था 18:1; 19:1; 20:1; गिनती 8:23; 15:1) जैसे कथनों से संकेत मिलता है कि इस्राएल को परमेश्वर की व्यवस्था दी गई थी न कि मूसा के मन से निकली हुई व्यवस्था।

इस तथ्य को विस्तार से बताने के लिए कि मूसा जो भी आज्ञा देता था वह परमेश्वर की ओर से ही थी, हमें अधिक प्रमाण की आवश्यकता है। कुछ लोग ''मूसा की व्यवस्था'' और ''परमेश्वर की व्यवस्था'' में अन्तर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अन्तर का न तो पुराने नियम में और न नए नियम की शिक्षा में कोई आधार है। परमेश्वर द्वारा मूसा को दी आज्ञाएं, विधियां, निर्णय और परमेश्वर के नियम, वह सब व्यवस्था ही थी। बेशक कई बार इसे ''मूसा की व्यवस्था'' (यहोशू 8:31; 1 राजा 2:3) कहा जाता है, परन्तु यह उसकी व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार, पौलुस ने ''मेरे सुसमाचार'' (रोमियों 2:16; 16:25) की बात की और हम ''प्रेरितों की शिक्षा'' (प्रेरितों 2:42) वाक्यांश का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सुसमाचार और इसकी सभी शिक्षाएं मसीह की ही हैं।

दण्ड के साथ एक व्यवस्था

इनमें से किसी भी व्यवस्था को तोड़ने पर दण्ड निर्धारित था। कई व्यवस्थाओं के उल्लंघन का दण्ड तो मृत्यु था, जबकि अन्यों के लिए अपराध या किसी की हुई हानि के जितना ही कष्ट आरोपी के लिए तय था। पीड़ित व्यक्ति को हर्जाना देने के अलावा, उचित बलिदान के रूप में अनजाने में हुए उल्लंघन के लिए परमेश्वर के लिए भेंट भी लानी होती थी (लैव्यव्यवस्था 4:27-35)। आज के कुछ कानूनों के विपरीत परमेश्वर ने न्यायालय का जुर्माना अदा करने के बजाय क्षतिपूर्ति और/या बलिदान ठहराया हुआ था।

सारांश

परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो नियम इस्राएल को दिए थे वे विशेष तौर पर जाति के रूप में मानने के लिए उन्हें ही दिए गए थे, किसी दूसरी जाति के लोगों को नहीं। इन नियमों में विस्तार से बताया गया था कि लोगों के व्यक्तिगत, नागरिक, और धार्मिक जीवनों के अधिकतर पहलुओं को कैसे संचालित किया जाए। इन नियमों को मानने से इस्राएल ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में अलग रहना था।

पाद टिप्पणी

[1]ऐसे ही कथन व्यवस्थाविवरण 4:40; 8:11; 10:13; 11:27, 28; 13:18; 28:1, 13, 15; 30:8 में मिलते हैं।